उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-293/2015/3447जेएल/22-3-15-300(26)/2015

लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर, 2015

वारण्ट

जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-376, 506 के अन्तर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थ दण्ड कुल रू0-20,000/-(अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष की अतिरिक्त कारावास) की सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी सनोज उर्फ राजू यादव पुत्र श्री मिठाईलाल यादव को मुख्य चिकित्साधिकारी, महाराजगंज द्वारा मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे कारागार में वापस भेज दिया जाये।

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-293/2015/3447जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-43449/सामा-1(1)/मानसिकबंदी/2/2013, दिनांक 06-10-2015 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।

3- प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in